

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 352]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 जून 2026 — आषाढ़ 9, शक 1948

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 जून 2026

शुद्धि पत्र

क्रमांक GENO-35/951/2025-C&I.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए दिनांक 02.06.2026 को जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना में, एतद्वारा, निम्नानुसार सुधार किया जाता है:-

अधिसूचना की सरल क्रमांक 6 के अंतर्गत,

1. सेवा "(3) वाष्पयंत्रों की मरम्मत हेतु प्रस्ताव" में, उल्लेखित समय-सीमा "30 कार्य दिवस" के स्थान पर, समय-सीमा "02 कार्य दिवस" प्रतिस्थापित किया जाए।
2. सेवा "(5) वेल्डर परीक्षा" में, उल्लेखित समय-सीमा "02 कार्य दिवस" के स्थान पर, समय-सीमा "30 कार्य दिवस" प्रतिस्थापित किया जाए।
3. सेवा "(6) वाष्पयंत्रों का भाप परीक्षण" में, उल्लेखित समय-सीमा "02 कार्य दिवस" के स्थान पर, समय-सीमा "30 कार्य दिवस" प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 30th June 2026

CORRIGENDUM

No. GENCOR-35/951/2025-C&I.— The following corrections are, hereby, made to the even numbered notification issued on date 02.06.2026, in exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5, and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011) :-

Under Serial Number 6 of the notification,

1. In the service "(3) Proposal for repair of Boilers", for the mentioned time limit "30 working days", the time limit "02 working days" shall be substituted.
2. In the service "(5) Welder Examination ", for the mentioned time limit "02 working days", the time limit "30 working days" shall be substituted.
3. In the service "(6) Steam Test of Boilers ", for the mentioned time limit "02 working days", the time limit "30 working days" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJAT KUMAR, Secretary.